# "भारत में महिला विश्वविद्यालयों में महिला प्रशासकों व कार्मिकों के अनुपात का अध्ययन"

**("The Study of the Ratio between Women Administrators and Staff in Women Universities in India")**

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर

के शिक्षा शास्त्र विभाग में

विद्यावारिधि (**Ph.D.**) उपाधि

के लिए

प्रस्तुत अनुसन्धान प्रस्ताव

(Synopsis)


मार्गदर्शिका

प्रो. मंजु शर्मा

शिक्षा शास्त्र विभाग

अनुसन्धाता

तेजपाल पारीक



शिक्षा शास्त्र विभाग

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

2021

# अनुक्रमणिका


पृष्ठ सं

1. प्रस्तावना 1

 1.1 विभिन्न कालों में महिलाओं की स्थिति

 1.2 भारत में साक्षरता दर

 1.3 भारत में स्त्री–पुरुष अनुपात

 1.4 उच्च शिक्षा प्रणाली का विकास

 1.5 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों का अध्ययन

2. साहित्य समीक्षा 6

3. अध्ययन की आवश्यकता 8

4. शोधप्रारूप एवं प्रविधि 8

 4.1 अध्ययन का क्षेत्र

 4.2 अध्ययन का प्रारूप

 4.3 प्राक्कल्पना

5. अध्ययन के उद्देश्य 8

6. न्यादर्श 10

7. तथ्यसंकलन 10

8. तथ्यविश्लेषण 10

9. निष्कर्ष एवं सुझाव 10

10. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 11

# "भारत में महिला विश्वविद्यालयों में महिला प्रशासकों व कार्मिकों के अनुपात का अध्ययन"

## 1. प्रस्तावना

मानव जाति की उन्नति में स्त्री और पुरुषों का परस्पर समान सहयोग होना चाहिए, यह किसके द्वारा अनुभव नहीं किया गया? नारी और पुरुष, ये दोनों समाज के प्रमुख दो अङ्ग माने गये हैं। दोनों के लिए शिक्षा समान रूप से परम आवश्यक है। शिक्षा जैसे पुरुषों के लिए कल्याणकारी है, वैसे ही महिलाओं के लिए भी।

महिला विकास की कुंजी है, वही राष्ट्र का विकास व गौरव है। वर्तमान में परिवर्तनशील संसार में महिलाओं की प्रमुख भूमिका दिखायी देती है। अशिक्षित महिला पुरुष की वास्तविक सहायिका नहीं हो सकती। महिलाओं का समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान है। शिक्षाविदों के अनुसार शिशु का प्रथम विद्यालय परिवार ही होता है। वहाँ माता उसकी प्रथम शिक्षिका होती है। जैसी माता होती है, वैसी उसकी सन्तति होती है। अतः महिलाओं के द्वारा ही समाज की उन्नति सम्भव है। क्योंकि नर और नारी दोनों जीवन रूपी रथ के दो चक्र है। जैसे उनमें से एक चक्र रथ की गति कारण नहीं हो सकता अर्थात् दो चक्रों वाला रथ केवल एक चक्र से सम्यक् नहीं चल सकता उसी प्रकार नर नारी बिना अपनी जीवन रूपी नौका को सांसारिक–सागर से पार नहीं ले जा सकता। इसलिए समाज में नर और नारी दोनों का शिक्षण–प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। समाज की प्रगति के लिए शिक्षित महिलाओं की परम आवश्यकता है। अतः पुरुषों के समान ही महिलाओं का भी शैक्षिक विकास और सामाजिक विकास दोनों को दृष्टि में रखकर समाज स्त्रीशिक्षा का प्रसार अवश्य करना चाहिए।

आदिकाल से ही हमारा देश नारी पूजक रहा है तभी तो नारायण के पूर्व लक्ष्मी, शंकर से पूर्व भवानी, राम के पूर्व सीता और कृष्ण के पूर्व राधा का नाम उच्चारित होता है। प्राचीन काल में भी भारत में महिलाएँ सुशिक्षित थी। जैसे – सावित्री, गार्गी, अपाला, घोषा, सूर्या, मैत्रेयी, विश्वधारा, आत्रेयी, लोपाद्रुमा, इन्द्राणी और अनसूया आदि। मध्यकाल में भी भरत की माता शकुन्तला, द्रौपदी, कुन्ती, कौशल्या, सुमित्रा, कैकयी और

महारानी लक्ष्मीबाई आदि। आधुनिक काल में भी ऐसी अनेक महिलाएँ हैं, जिन्होंने अपने बल पर भारत को प्रसिद्धि दिलायी। जैसे – इन्दिरा गाँधी, मदर टेरेसा, किरण वेदी, पी. टी. उषा, सुषमा स्वराज आदि।

अतः देश की उन्नति के लिए महिलाएँ शिक्षित होनी चाहिए। सेनानायक नेपोलियन ने कहा था कि **"अपने देश की सर्वोत्कृष्टता के लिए महिलाएँ शत प्रतिशत शिक्षित एवं सुयोग्य होनी चाहिए।"**

राष्ट्र में शिक्षित महिलाओं के महत्त्व को मानते हुए पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि **"आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं।"**

भारत में महिलाओं की स्थिति समय–समय पर परिवर्तित होती रही है। प्राचीन काल में महिलाओं को समाज में उच्च स्तर प्राप्त था। उन्हें सुख, समृद्धि, शान्ति, वैभव और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। इसलिए उन्हें दुर्गा, लक्ष्मी एवं सरस्वती के रूप में देखते हैं। कहा गया है –

**"या देवी सर्वभूतेषु कन्यारूपेण संस्थिता।**
**नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।"**

मनुस्मृति के अनुसार –

**"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।**
**यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।"**

## 1.1 विभिन्न कालों में महिलाओं की स्थिति –

**वैदिककाल** – वैदिक काल में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति उन्नत थी। महिलाओं को समाज और परिवार में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। नारी को अर्द्धांगिनी कहा जाता था। ऋग्वेद में दम्पत्ति शब्द का प्रयोग मिलता है। जिसका अर्थ है – पत्नी और पति अर्थात् यज्ञ में दम्पत्ति यज्ञ का अधिकारी होता था। अथर्ववेद में वर्णन है कि **"नववधू! तू जिस घर में जा रही है, वहाँ की तू साम्राज्ञी है। तेरे ससुर, सास, देवर व अन्य तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आनन्दित हैं।"**

**उत्तर वैदिक काल** – उत्तर वैदिक काल (600 ई. पूर्व से 300 ई. तक) में महिलाओं की स्थिति में कुछ गिरावट आयी। महिलाओं के लिए वेदों का अध्ययन बन्द कर दिया गया। बाल–विवाह करने तथा विधवा पुनर्विवाह न करने का निर्देश प्राप्त हुआ। तथा पति ही परमेश्वर होता है, इस बात का बीजारोपण हुआ।

**धर्मशास्त्रकाल** – धर्मशास्त्रों के काल (तीसरी शताब्दी से ग्याहरवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक) में महिलाओं की स्थिति में और गिरावट आ गयी। चन्द्रावती लखनपाल के शब्दों में, **''वैदिककाल की वह नारी जो अपने प्रबल व्यक्तित्व के द्वारा देश के साहित्य और समाज को प्रभावित करती थी, वह परतन्त्र, पराधीन, निस्सहाय और निर्बल बन चुकी थी।''**

मनुस्मृति में महिलाओं के स्वभाव एवं उनके प्रति शास्त्रोचित व्यवहार करने के लिए कहा है –

**''मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्।**
**बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति।।''**[1]

अर्थात् युवा पुत्र को माता के साथ एकान्त में नहीं रहना चाहिए।

**''पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।**
**रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति।।''**[2]

अर्थात् महिला प्रत्येक अवस्था में स्वतन्त्रता के लिए योग्य नहीं है।

**मध्यकाल** – मध्यकाल (11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक) में मुगल साम्राज्य के कारण भारतीयसंस्कृति की रक्षा के लिए कुछ नियमों का प्रावधान किया। जैसे – 5–8 वर्ष की आयु में कन्याओं का विवाह, सती–प्रथा, बहुपत्नीवाद आदि। जिससे महिलाएँ पूर्णरूप से पुरुषों पर आश्रित हो गयी।

**आधुनिककाल** – स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं की स्थिति में अधिक सुधार हुआ। सरकार, गैर सरकारी संगठनों (महिला संगठनों सहित) तथा समाजसुधारकों के प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय महिलाओं की स्थिति मध्यकाल की

---

1 मनुस्मृति, 2/215
2 मनुस्मृति, 8/3

महिलाओं की स्थिति से उच्च दिखाई देने लगी। महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य कर रही है।

पंचायतों आदि स्थानीयस्तर पर भी उन्हें आरक्षण की सुविधाएँ भी प्राप्त हो रही है। आज भारतीय महिला पूर्णतः पुरुष पर आश्रित नहीं है, वह पुरुष की जीवनसहयोगिनी बनती जा रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं में सामाजिक चेतना, औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं वैधानिक सुविधाओं के कारण महिलाओं की स्थिति में पूर्व की अपेक्षा काफी हद तक सुधार हो गया।

## 1.2 भारत में साक्षरता दर –

भारत में साक्षरता दर 2011 के अनुसार 74.04 है, जो 1947 में मात्र 18 प्रतिशत थी। भारत की साक्षरता दर विश्व की साक्षरता दर 84 प्रतिशत से कम है। भारत में साक्षरता की दृष्टि से महिलाओं और पुरुषों में काफी अन्तर है। वर्तमान में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 है।

## 1.3 भारत में स्त्री–पुरुष अनुपात –

स्त्रियों का अनुपात सामान्यतया पुरुषों के बराबर ही होना चाहिए, परन्तु पिछले 100 वर्षों के आँकड़े बताते हैं कि भारत में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से कम ही रहा है। 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2011 में लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएँ है।

## 1.4 उच्चशिक्षाप्रणाली का विकास –

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12(ज) और 12(झ) के तहत देश तथा अन्य देशों के विश्वविद्यालयों की शिक्षा से सम्बन्धित मामलों में इस प्रकार की सूचना एकत्रित करने का अधिकार है जैसा वह आयोग समझता है तथा किसी विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी जानकारी प्रदान करना अपेक्षित होता है जो किसी विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में आवश्यक हो। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समय से तथा गुणवत्ता युक्त आँकड़े प्राप्त करने के लिए जिनका मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा देश में उच्चतर शिक्षा के समग्र

स्थिति का आंकलन करने के लिए डाटाबेस (आँकड़ें) तैयार करने हेतु उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारतीय सर्वेक्षण कार्य किया जाता है।

आँकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिए National Information Centre (NIC) की मदद से एक प्रसिद्ध पोर्टल (http://aishe.gov.in) विकसित किया गया है। पोर्टल तक पहुँच बनाने तथा अपेन महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों को डाटा अपलोट करने के लिए पंजीकरण करना होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचना और सांख्यिकीय ब्यूरो ने वर्ष 2014–15 से सीधे विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों से देश में विश्वविद्यालयीय शिक्षा से सम्बन्धित आँकड़ें एकत्रित करना बन्द कर दिया है। वर्तमान में यह उच्च शिक्षा से सम्बन्धित गुणवत्तायुक्त आँकड़े प्राप्त करने का कार्य http://aishe.gov.in के माध्यम से किया जा रहा है।

## 1.5 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों का अध्ययन –

सत्र 2018–19 में AISHE (All India Survey on Higher Education) के द्वारा एकत्रित किये गये आँकड़े निम्नांकित हैं[3] :– –

| | | |
|---|---|---|
| No. of Univercities | - | 993 |
| No. of Colleges | - | 39931 |
| No. of Teachers | - | 14.16 Lacs |
| Gross Enrollment Ratio | - | 26.3 |
| Gender party Index | - | 1.00 |
| Pupil Teacher | - | 29 |

सत्र 2018–19 में अध्यापनरत कुल 1416299 शिक्षकों में से 58 प्रतिशत पुरुष शिक्षक तथा 42 प्रतिशत महिला शिक्षक थे। वर्ष 2018–19 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों का पद नाम, वार संक्षिप्त विवरण है[4] –

---

[3] http://aishe.gov.in

[4] UGC Annual Report 2018-19

| पद नाम | विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग / संघटक इकाई / ऑफ केम्पस केन्द्र | | सम्बद्ध महाविद्यालय तथा संघटक महाविद्यालय | | कुल योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल | महिला | कुल | महिला | कुल | महिला |
| आचार्य | 35221 | 8460 | 83235 | 22940 | 118456 | 31400 |
| सह आचार्य | 27697 | 8794 | 122460 | 46437 | 150157 | 55231 |
| सहायक आचार्य | 109667 | 44223 | 752434 | 330867 | 862101 | 375090 |
| अनुशिक्षक / निदर्शक | 7412 | 4101 | 39489 | 25403 | 46901 | 29504 |
| अस्थायी शिक्षक | 7720 | 3274 | 65074 | 33006 | 72794 | 36280 |
| **कुल योग** | **187717** | **68852** | **1062692** | **458653** | **1250409** | **527505** |

स्रोत– वर्ष 2018–19 aishe Report

## 2. साहित्यसमीक्षा

अनेक समाज शास्त्रियों ने महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक स्थिति का अध्ययन किया तथा अपने विश्लेषण के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने का प्रयास किया। यहाँ शोध समस्या के सम्बन्धित साहित्यों का अध्ययन कर शोधकर्ता उनका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है।

* मीना, हेमलता (2018)[5]

**शोधशीर्षक** – ''इक्कीसवीं सदी का महिला आत्मकथा लेखन : संघर्ष और सृजन''

**उद्देश्य** – आत्मकथा के विभिन्न चरण, दलित आत्मकथा, स्त्री आत्मकथा साहित्यों का अध्ययन करना।

---

5 कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)

**निष्कर्ष** – समाज का धनी वर्ग कमजोर का, प्रतिष्ठित वर्ग गरीब का, शिक्षित वर्ग अशिक्षित का हमेशा से शोषण करता आया है तथा वर्तमान में स्त्री के प्रति पुरुष और समाज की मानसिकता में परिवर्तन आने लगा है। परन्तु नारी को पूर्ण सम्मान तथा स्वतन्त्रता मिलने में कुछ सदियाँ ओर लग सकती है।

* **मिश्र (1981)** ने अपने अध्ययन से बताने का प्रयास किया कि जब तक सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएँ समाप्त नहीं होगी तब तक भारतीय महिलाओं का सर्वाङ्गीण विकास असम्भव है। महिलाओं के प्रति पुरुषों की दृष्टि से परिवर्तन आवश्यक है।

आज भी बहुत से ऐसे ग्रामीण लोग है जो अपनी बालिकाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते तथा उच्च शिक्षा के लिए उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाता। वस्तुतः आज भी महिलाएँ पुरुषों की दृष्टि से अबला ही बनी हुई है।

* **कॉपर** ने कानून की दृष्टि से महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस अध्ययन के आधार पर महिलाओं की संवैधानिक स्थिति, अधिकार, सम्पन्नता, कानूनी शक्ति इत्यादि को समझा जा सकता है। वस्तुतः महिलाओं की स्थिति को उच्च बनाने की दृष्टि से विभिन्न कानून निर्मित किये गये हैं परन्तु पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाएँ उस कानून से अनभिज्ञ है फिर भी भारतीय समाज की उच्च वर्गीय महिलाओं ने इसका लाभ उठाकर अपनी स्थिति को उच्च किया है।

* **मीनाक्षी मुखर्जी (1988)** का मत है कि पुरुषों से स्वतन्त्र महिलाओं की पहचान की अभिव्यक्ति वैचारिक दृष्टि से ही सम्भव है परन्तु व्यवहारिक रूप से नहीं। परिवार ही महिलाओं को गुलाम बनाने वाली संस्था नहीं है अपितु समाज की एक ऐसी प्रवृत्ति है, जिसमें महिलाओं के साथ पुरुषों के समान सानुपातिक व्यवहार नहीं किया जाता।

* **माग्रेट कारमैक (1779)** ने विश्वविद्यालय की 500 छात्राओं के अध्ययन से जाना कि लड़कियों कॉलेज जाना चाहती हैं और लड़कों से मित्रता करना चाहती हैं। लेकिन वे यह भी चाहती है कि उनका विवाह किनके साथ होना उचित होगा? यह उनके माता–पिता तय करें। वे स्वतन्त्रता के साथ–साथ परम्परागत मूल्यों को बनाये रखना भी चाहती हैं।

## 3. अध्ययन की आवश्यकता

प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति संसार की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ रही है। भारतीय संस्कृति की विशिष्ट धरोहर नारी रही है। क्योंकि वेद–पुराण व लौकिक काव्यों में नारी को अर्धाङ्गिनी कहा गया है। नर देव है तो नारी देवी है। वैदिकसाहित्य में नारियों का स्थान उच्च था। पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त था और उच्च शिक्षा की सुविधाएँ प्राप्त थी। भारतीय समाज में नारी की महिमा सदैव अविस्मरणीय रही है।

अनुसन्धाता का मन बाल्यकाल से नारी के प्रति संवेदनशील रहा है। घर, परिवार, समाज और राष्ट्र में महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों को देखकर तथा प्रतिदिन ही समाचारों में महिला उत्पीडन की घटनाओं को जानकर मन बहुत ही व्याकुल हो उठता है।

एक दिन शोधकर्ता के मन जिज्ञासा पैदा हुई कि भारत देश में उच्च शिक्षा स्तर पर विश्वविद्यालयों में, वहाँ भी महिला विश्वविद्यालयों में महिला प्रशासकों एवं कार्मिकों का क्या अनुपात है? यदि उच्च शिक्षास्तर पर महिलाओं की समुचित सहभागिता होगी तभी ही पुरुषों का महिलाओं के प्रति सम्मान, आदर भावना एवं अनुकरणीय दृष्टिकोण पैदा होगा।

अतः यह शोध अध्ययन भारत में महिला विश्वविद्यालयों में महिला प्रशासकों व कार्मिकों के अनुपात की जानकारी देता हुआ समाज में व्याप्त असमानता, असामाजिता तथा महिलाओं की समस्याओं को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक छोटा प्रयास होगा।

## 4. शोधप्रारूप एवं प्रविधि

### 4.1 अध्ययन का क्षेत्र –

अध्ययन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान प्रदेश में संचालित शासकीय–अशासकीय महिला विश्वविद्यालयों में कार्यरत महिला प्रशासकों व कार्मिकों के अनुपात का अध्ययन किंया जाएगा। जिसके द्वारा महिलाओं के प्रति पुरुषों की दृष्टि का ज्ञान प्राप्त किया जाएगा।

### 4.2 अध्ययन का प्रारूप –

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों को समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखते हुए अन्वेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग किया जाएगा। इस अध्ययन का सम्बन्ध प्राथमिक स्रोत से है जिसके अन्तर्गत समस्या के विषय में प्राथमिक सूचनाएँ प्राप्त कर भावी अध्ययन की आधारशिला तैयार की जाएगी।

### 4.3 प्राक्कल्पना –

सामाजिक शोधकार्य को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने की दृष्टि से प्राक्कल्पनाओं का निर्माण करना आवश्यक होता है। प्राक्कल्पना सामाजिक शोध को एक दिशा एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करती है। जो निम्नांकित हैं :–

(1) भारत में महिला विश्वविद्यालयों में महिला प्रशासकों व कार्मिकों में समान अनुपात होगा।

(2) भारत में महिला विश्वविद्यालयों में सभी महिला प्रशासक उच्च शिक्षा प्राप्त होंगे।

(3) भारत में महिला विश्वविद्यालयों में महिला प्रशासकों में प्रशासनात्मक गुण विद्यमान होंगे।

(4) भारत में महिला विश्वविद्यालयों में महिला प्रशासकों व कार्मिकों में परस्पर सहयोगात्मक एवं समायोजनात्मक व्यवहार दृष्टिगत होगा।

## 5. अध्ययन के उद्देश्य

शोधाध्ययन का सबसे महत्त्व चरण उद्देश्यचयन है। जिनके आधार पर अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए एक दिशा प्रदान की जाती है। अतः प्रस्तुत शोध के उद्देश्य निम्नाङ्कित हैं :–

1. भारत में महिला विश्वविद्यालयों में महिला प्रशासकों व कार्मिकों के अनुपात का अध्ययन करना।
2. भारत में महिला विश्वविद्यालयों में महिला प्रशासकों व कार्मिकों के समायोजन का अध्ययन करना।

3. भारत में महिला विश्वविद्यालयों में महिला–प्रशासकों व कार्मिकों के व्यक्तित्व का अध्ययन करना।

4. भारत में महिला विश्वविद्यालयों में महिला प्रशासकों व कार्मिकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।

## 6. न्यादर्श (Sampling)

प्रस्तुत शोधाध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण निदर्शन (Purpositive Sampling) के पश्चात् यादृच्छिक निदर्शन (Random Sampling) प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा।

## 7. तथ्यसंकलन

प्रस्तुत शोधाध्ययन में प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के तथ्य संकलित किये जायेंगे। प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु सर्वप्रथम पॉयल सोर्टिंग तथा रेटिंग (Rating) विधि का प्रयोग किया जाएगा। रेटिंग (Rating) विधि के पश्चात् चरों के सहयोग से साक्षात्कार अनुसूची तैयार की जाएगी।

प्रस्तुत शोधाऽध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महिलाओं पर प्रकाश डालते हुए आनुपातिक कारणों का अध्ययन किया जाएगा।

## 8. तथ्यविश्लेषण

सांख्यिकीय प्रविधियों के द्वारा प्राप्त तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीयन करने के पश्चात् उनका विश्लेषण किया जाएगा।

## 9. निष्कर्ष एवं सुझाव

शोधकर्ता इस शोधाध्ययन में तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकालेगा। तदनुसार समाज को निर्देश एवं सुझाव देगा।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-


1. आर. ए. राजाराम व भँवर मुकामसिंह (2011), राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी 2011, **21वीं सदी की महिलाएँ दिशा व दशा**, भोपाल मध्यप्रदेश
2. उपाध्याय, डॉ. आशा व शर्मा गुंजन (2013), **स्त्री समय, समाज व शब्द**, इलाहाबाद, जनचेतना प्रकाशन
3. कपूर, प्रो. प्रोमिला (2012), **स्त्री शिक्षा एक मूल्यांकन**, दिल्ली, हरि प्रकाशन
4. कल्याण, प्रतिभा (2012), **समाज में महिलाओं का स्थान**, प्रतियोगिता दर्पण, जून 2012
5. नटानी, प्रकाश नारायण (2010), **महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकार**, जयपुर, विनायक प्रकाशन
6. पंत, कविता (मार्च 2013), **महिलाओं और बच्चों के कल्याण की घोषणाएँ**, योजना पत्रिका मार्च 2013, योजना भवन, नई दिल्ली
7. मिश्रा, डॉ. आर. के. (2011), **राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी 2011**, भोपाल मध्यप्रदेश
8. मेनन, रितु (2005), **कर्मठ महिलाएँ**, इंडिया, नेशनल बुक ट्रस्ट
9. मोदी, डॉ. के. एम. (2013), **ग्रामीण महिलाओं के विकास में स्वयं सहायता समूहों का योगदान**, कुरूक्षेत्र पत्रिका, जुलाई 2013
10. यादव, चन्द्रभान (2013), **पुरुष प्रधान देश में नारी की दुर्गति**, प्रतियोगिता दर्पण मई 2013
11. राजकुमार (मई 2013), **पुरुष प्रधान देश में नारी की दुर्गति**, प्रतियोगिता दर्पण मई 2013
12. लता, डॉ. मंजु (2009), **अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न**, दिल्ली, अर्जुन पब्लिकेशिंग हाउस
13. वियोगी, डॉ. कुसुम (2001), **दलित महिला कथाकारों की चर्चित कहानियाँ**, दिल्ली, ललित प्रकाशन
14. शुक्ला, डॉ. मंजु (2011), **महिला साक्षरता एवं सशक्तिकरण**, लखनऊ, भारत प्रकाशन

15. श्रीवास्तव, डॉ. मीनाक्षी (2012), **कामकाजी महिलाएँ वास्तविक स्थिति**, दिल्ली, हरि प्रकाशन

16. सक्सेना, वंदना (2013), **महिलाओं का संसार और अधिकार**, दिल्ली, मनीषा प्रकाशन

17. सिंह, सुधा (मार्च 2013), **स्त्री अस्मिता और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस**, योजना पत्रिका मार्च 2013, नई दिल्ली, योजना भवन

18. सिंह, हंसराज बिष्ट व कोठारी, राकेश (मई 2013), **महिला हिंसा के विरुद्ध बढ़ता जन आंदोलन**, प्रतियोगिता दर्पण, मई 2013

19. स्वामी, डॉ. भगवती व किशोर, डॉ. सविता (2008), **महिला सशक्तिकरण क्यों और कैसे?** जयपुर, आर. वी. एस. ए. पब्लिशर्स

**प्रमुख पत्र–पत्रिकाएँ :–**

1. UGC Annual Report 2018-19

2. महिला बाल विकास विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन

3. शोधप्रबन्ध